संख्या0–5 बजट (1) 34/2023 ...29 पट (वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 13.11.25

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" में निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 39.181 लाख (उनचालीस लाख अठारह हजार एक सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 30.00 लाख (तीस लाख) रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" में निर्माण कार्य मद में मो0 39.181 लाख (उनचालीस लाख अठारह हजार एक सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 30.00 लाख (तीस लाख) रु0 मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है – (रु0 में)

कम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु शेष राशि	जिला/स्थापना
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में Construction of First floor (for Women Trainees) and Surface Drain of New Fish Processing Building for Fisheries Training	39,18,100/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 24.12.2024 को।	30,00,000/–	9,18,100/–	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
	कुल योग:	39,18,100/–		30,00,000/–	9,18,100/–	

3. चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश सं0 11 रा0 (वि0) दिनांक 04.07.2025 द्वारा "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 1340.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 1339.88 लाख (तेरह करोड़ उनचालीस लाख अठासी हजार) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

130

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय के तहत् निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा –

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रु0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–71–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050079671010545	30.00	30.00	0.00
	कुल योग :	**30.00**	**30.00**	**0.00**

कुल मो0 30.00 लाख (तीस लाख) रु0 मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बंजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। कंडिका 2 में अंकित निर्माण कार्य के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंता को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

7. निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत योजना को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्य का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0–01/आर0–04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1200.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 772.18 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18 स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 5 बजट (1) 34/2023 29 रा0 (वि0) रॉची, दिनांक 13.11.2025

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 5 बजट (1) 34/2023 29 रा0 (वि0) रॉची, दिनांक 13.11.2025

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉंची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव